IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिकाः एक समाजषास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 बीना

विभाग समाजषास्त्र

राजकीय महाविद्यालय जखोली (रूद्रप्रयाग)

सारांष

देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है और उनमें से अधिकांश काम के अभाव में आर्थिक रूप से एक–दूसरे पर निर्भर रहती हैं। स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन–सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। जिसके सदस्य एक–दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत सरकार ने समुदाय आधारित संस्थाओं के इर्द–गिर्द बुनी हुई गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण, गरीब परिवारों को प्रभावी स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में संगठित करना। स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जाने वाली सभी प्रमुख गतिविधियों जैसे बचत, ऋण प्राप्ति, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण व रोजगार आदि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक नीति के अंतर्गत भारत के पंचवर्षीय योजना में बजट का प्रावधान किया गया था जिसके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सहायता पहुंचानी थी। उत्तराखण्ड राज्य में भी इस प्रकार के प्रयास पिछले एक दशक से किए गए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

मुख्य षब्दः महिलाओं, सामाजिक, आर्थिक, विकास, सहायता समूह की भूमिका

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में नारी समाज को सदैव ही अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय समाज के इतिहास में नारी की स्थिति व स्थान में परिवर्तन होता रहा है। वैदिक काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी उन्हें पुरूषों के समान शिक्षा, राजनीति, धर्म, सम्पत्ति आदि में अधिकार प्राप्त था। मनु के अनुसार ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता'' लेकिन इसी नारी की स्थिति उत्तर वैदिक काल में तथा इसके बाद के काल में गिरती चली गयी और स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी। स्त्री वस्तु बनकर रह गयी थी जिसका

उपयोग पुरूष अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप में कर सकता था। मध्य कालीन युग में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त ही सोचनीय थी, वैदिक काल की 'गृह लक्ष्मी' 'माता' एवं 'शक्ति प्रदायिनी देवी' अब याचिका, सेविका व निर्बलता के प्रतीक के रूप में दिखाई देनी लगी।[1]

वैदिक काल में महिलाओं को 'देवी' तुल्य समझा जाता था परन्तु मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्राह्मणों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा एवं स्त्रियों की सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने हेतु महिलाओं के सम्बन्ध में नियमों को कठोर बना दिया गया था। महिलाओं ने भी इन आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने में संकोच का अनुभव नहीं किया। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, पर्दा प्रथा के कारण अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार की सुदृढ़ता हेतु महिलाओं को दबाकर रखने की प्रवृत्ति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को निरन्तर बना दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए। फिर भी स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में भी सिद्धान्त एवं व्यवहार में भी भिन्नता पायी जाती है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, स्थिरता, ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं की कमी, सुरक्षा की कमी और ज्ञान की कमी जैसी चुनौतियां समाज पर स्वयं सहायता समूहों के सकारात्मक प्रभाव में बाधा डालती हैं।[2] स्वयं सहायता समूह सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वयं सहायता समूह आर्थिक लेन–देन के माध्सम से आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ तत्पर रहते हैं। तीन दशक पहले बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया था। इसे एक हथियार के रूप में गरीबी और भूख के खिलाफ प्रयोग किया गया।[3]

नारीवाद के युग में, भारत में बहुत कम महिलाओं को अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने और अपने जीवन को अपने हिसाब से ढालने की स्वतंत्रता मिली है। अधिकांश गांवों और अर्ध–शहरी कस्बों में महिलाओं को अभी भी बुनियादी शिक्षा से वंचित रखा जाता है और उन्हें आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। महिलाओं को दिन भर के कई कामों को सहजता से निभाने के लिए जाना जाता है, और इसलिए उन्हें हर सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। स्वयं सहायता समूह का गठन महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को समाप्त कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल करने का एक नया प्रारूप है। पुरूष प्रधान समाज में महिलाएं अनेक तरह की जिम्मेदारियां निभाती हैं, जिसमें देखभाल करने वाली मां, प्यारी बेटियां और कुशल कर्मचारी शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वे किसी भी काम के लिए उपयुक्त हैं। फिर भी, उन्हें लम्बे समय से दुनिया के कई क्षेत्रों में समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। नतीजतन, महिलाओं को असमानता, वित्तीय असुरक्षा, उत्पीड़न और अन्य सामाजिक बुराइयों का बोझ उठाना पड़ा है। सदियों से, महिलाओं को गुलाम बनाया गया है, जिससे उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता हासिल करने से रोका गया है। हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण ऋण और वित्तीय सेवाओं तक उचित पहुंच का अभाव है।[4] विज्ञान के इस युग में हमारा विकासोन्मुख देश जहां प्रगति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है वहीं आज भी उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण व नगरीय इलाकों में ऐसे लोग निवास करते हैं, जो आधुनिक उपलब्धियों से अछूत, संस्कृति के वर्तमान स्वरूप से सर्वथा अपरिचित, कृषि व अन्य उद्योग धन्धों, शिक्षा आदि से अनभिज्ञ हैं।[5] विकास वह दशा है जिसे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतर जीवन स्तर आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्रजातांत्रिक विकासशील राष्ट्र के लोगों की आशा आकांक्षाओं से सम्बद्ध होती है। यदि इसे मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाए तो विकास का अर्थ जन सामान्य के लिए सार्थक हो जाएगा अर्थात् विकास का

तात्पर्य सदैव समाज के द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर व प्रतिमानों एवं दूसरों की रूचियों को नष्ट किए बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से है।

विकासशील देशों के लिए यह स्वयं सहायता समूह जमीनी–स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है। अपितु दुनिया भर के सरकारी व गैरसरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूह के महत्व को बखूबी समझती हैं। 1970 में बांग्लादेश से गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो0 मोहम्मद युनुस का योगदान अविस्मरणीय है। इस समूह के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। जिससे वे आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करते हैं। 1991–92 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियां बनाना है। इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना, समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था बढ़ाना आदि है।[6]

तालिका संख्या – 01

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिषन (विकास केन्द्र)[7]

कम सं0	विकास केन्द्र	स्थान (न्याय पंचायत)	संचालित करने वाले समूह का नाम	उत्पादों के नाम	जिला
1	बेकरी इकाई गतिविधियाँ	कोसी, हवालबाग (अल्मोड़ा)	विकास एसआरसी, पाटलीबगर	मंडुवा बिस्किट, मल्टीग्रेन बिस्किट व ब्रेड, मफिन, केक, बुरांश जूस, अचार	अल्मोड़ा
2		लोहारखेत (बागेश्वर)	मा चिल्टा एचआरसी, मुनार	मंडुवा चौलाई मक्का बिस्किट, मंडुवा क्रीम रोल व फेन व नमकीन	बागेश्वर
3	प्रसाद निर्माण एवं फल प्रसंस्करण	थराली (चमोली)	सोलडुंगरी, एसआरसी, थराली	बुरांश का जूस, अचार	चमोली
4		कोटिगढ़ (टिहरी)	उत्साह एसआरसी, कोटिगढ़	अचार, बाजरा, फाड़ी नमक, शहद, राजमा	टिहरी
5		सत्यू (टिहरी)	माँ सुरकंडा, सकलाना	लाल चावल, अचार, धूप, मंडुवा आटा, बुरांश का रस, चौलाई	
6	मूल्य संवर्धन मसाले	गौरीहाट (पिथौरागढ़)	मनमहेश एचआरसी, मुनाकोट	मसालों को प्रसंस्करण चल रहा है	पिथौरागढ़
7		घंडियाल (पौड़ी)	बुरांश एसआरसी, घंडियाल		पौड़ी
8		माचोर–सल्ट (अल्मोड़ा)	माँ गर्जिया एसआरसी, माचोर	हल्दी, मिर्च, धनिया व दालें	अल्मोड़ा
9		बसोट–भिक्यासैंण (अल्मोड़ा)	महाकालेश्वर, बसोत		
10	यूरोपीय सब्जियाँ	कोटी–कालसी (देहरादून)	विशेषलखत एसआरसी, कोटी, कालसी	टमाटर, शिमला मिर्च	हरादून
11		उन्युरा, लमगढ़ा (अल्मोड़ा)	प्रगति एसआरसी, मोतियापाथर	मिक्स जैम व सेब जैम	अल्मोड़ा
12	फूलों का पुनर्चक्रण अपशिष्ट फूलों का मूल्य	जिलासू (पोखरी)	माँ चण्डिका एसआरसी, जिलासू	फूलों, स्थानीय सब्जियों का पुनर्चक्रण	पोखरी
13	मूल्य संवर्धन फल	बेंतधार, चौखुटिया (अल्मोड़ा)	माँ अगनेरी एसआरसी, बेतनधार	चावल और आटा	अल्मोड़ा
14		मैकालि–द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	हिमदृश्य एसआरसी, द्वाराहाट	हल्दी, मिर्च, धनिया, दालें	
15	मूल्य संवर्धन फल और पारम्परिक फसलें दश्मिक गुलाब	बैजनाथ (बागेश्वर)	बैजनाथ एसआरसी, बैजनाथ (सीएपी)	चावल–मोटा व पतला	बागेश्वर
16		विसयालखाल–पोखरी	नागधारा एसआरसी	फलों की ग्रेडिंग का काम	चमोली

		(पोखरी)		चल रहा है	
17	मूल्य संवर्धन फल	पालकोट (पिथौरागढ़)	ध्वज एसआरसी, कनालीछीना	जूस, अचार	पिथौरागढ़
18		जोशियाड़ा (उत्तरकाशी)	गंगा मैया एसआरसी, जोशियारा (सीएपी)	नर्सरी	उत्तरकाशी
19	प्रसाद बनाना	सिसो–जखोली (रूद्रप्रयाग)	लता बाबा एसआरसी, जखोली	अमरंथस लड्डू	रूद्रप्रयाग
20		बान्द्रानी (उत्तरकाशी)	माँ जगदम्बा, भटवारी	अमरंथस लड्डू	उत्तरकाशी
21	मूल्य संवर्धन फल	गरूड़ (बागेश्वर)	संजीवनी, एसआरसी, बागेश्वर	जूस, अचार	बागेश्वर
22		थराली (चमोली)	राज राजेश्वरी, चमोली	मूल्य संवर्धन फल	चमोली
23	मूल्य संवर्धन फल और दमास्क गुलाब	तलवारी (चमोली)	माँ भगवती, चमोली	रोज़ नर्सी	
24		जाख (पिथौरागढ़)	महादेव एसआरसी, बिन (सीएपी)	रोज़ नर्सी	पिथौरागढ़
25	मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र	अगस्तमुनि (रूद्रप्रयाग)	उचादुंगी एसआरसी, अगस्त्मुनि	शहद ग्रोथ सेंटर का निर्माण कार्य जारी है	रूद्रप्रयाग

भारत सरकार ने समुदाय आधारित संस्थाओं के इर्द–गिर्द बुनी हुई गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की स्थापना की। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य आय में स्थायी वृद्धि के लिए विविध और लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है। यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करेगा और मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी/नौकरी के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो उन्हें गरीबी की दहलीज पार करने और और उत्पादक एजेंट बनने में सक्षम बनाएगा। NRLM राज्यों को वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता का एक संयोजन प्रदान करेगा ताकि वे चार अंतर सम्बन्धित कार्यों को शामिल करते हुए व्यापक आजीविका दृष्टिकोण का उपयोग कर सकें:

1. सभी ग्रामीण, गरीब परिवारों को प्रभावी स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में संगठित करना।
2. ग्रामीण गरीबों की ऋण तथा अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
3. लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के लिए गरीबों की क्षमता और कौशल का निर्माण करना।
4. गरीबों को सामाजिक और आर्थिक सहायता सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कियान्वयन में एक आदर्श बदलाव है। यह भारत सरकार और राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से सीख लेकर बनाया गया है।[8]

साहित्य समीक्षा

सुनीता श्रीवास्तव[9] ने अध्ययन में पाया कि स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रहे हैं अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक हैं।

कुलदीप यादव व जितेन्द्र प्रसाद[10] के अध्ययन में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी क्षेत्र की 90 महिलाओं का प्रतिदर्श के रूप में चयन कर उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन करने से ज्ञात होता है कि एक पिछड़े क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह एक नयी ताकत के रूप में उभरा है। 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। 63.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद सामाजिक स्थिति में सुधार को स्वीकार किया है।

राकेष मल्होत्रा[11] के अनुसार, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा गठबन्धन है जिसमें 10 से 20 सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं। सामान्यता स्वयं सहायता समूह के सदस्य एक दूसरे से भली–भांति परिचित होते हैं, एक ही गांव, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों और व्यवसाय के होते हैं, अर्थात् वह समरूप होते हैं।

सूर्यमूर्ति आर0[12] ने केरल के अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव महिलाओं पर देखा और पाया कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपार्जित ऋण एक दूसरे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति प्रयोग किया गया एवं समस्याओं का निवारण किया गया।

सिंह एण्ड पाण्डेय[13] ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के अपने अध्ययन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सूक्ष्मवित्त योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया और पाया कि सूक्ष्मवित्त योजनाओं पर आधारित स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कृतिका एवं पाण्डेय[14] ने अपने अध्ययन में चम्पारण जिले के दरमाहा पंचायत के स्वयं सहायता समूह की बात की है जो स्वरोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साक्षरता दर में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर परिवार नियोजन पर भी काम कर रहे हैं। परन्तु यहां अशिक्षा के कारण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को व्यवसाय प्रबन्धन ऋण प्राप्ति की औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ कम पढ़े लिखे लोग बैंकिंग, सुविधाओं व लेन–देन के कार्य सहजता से नहीं कर पाते जो एक चुनौती का विषय है इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सभी समूह के सदस्य बैंकिंग सुविधाओं व ऋण का लेन–देन आसानी से कर सकें इसके साथ यहां स्वयं सहायता समूह गरीबों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने व महिलाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं।

उद्देष्य

- महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को ज्ञात करना।
- महिलाओं में रोजगार एवं आय सृजन क्षमता का निर्माण करना।
- महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व के गुणों का विकास करना ।

षोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है तथा सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना है। अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के जिला चमोली के थराली ब्लॉक के तीन गाँवों बजवार, नंदगांव तथा पैठानी का चयन किया गया है। जिसमें प्रत्येक गाँव में से एक–एक स्वयं सहायता समूह द्वारा कुल 60 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपरक निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। सूचनादाताओं से सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। निम्न तालिकाओं के माध्यम से उत्तरदाताओं के सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, साथ ही किस प्रकार से इन उत्तरदाताओं ने समूह से लोन लेकर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया है, उसका वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या – 02

उत्तरदाताओं की मासिक आय में वृद्धि का अध्ययन

आय में वृद्धि (रूपये में)	संख्या	प्रतिशत
100–200	16	26.66
201–300	21	35.00
301–400	10	16.66
401–500	08	13.33
501 से अधिक	05	08.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 02 में उत्तरदाताओं की मासिक आय में वृद्धि के अध्ययन को दर्शाया गया है। अधिकांश 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मासिक आय में 201 रूपये से लेकर 300 रूपये तक की वृद्धि हुई है। 26.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मासिक आय में 100 रूपये से लेकर 200 रूपये तक की वृद्धि हुई है। 16. 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मासिक आय में 300 रूपये से लेकर 400 रूपये तक की वृद्धि हुई है तथा 08.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें मासिक आय में 500 रूपये से अधिक की वृद्धि हुई है। मासिक आय में निरन्तर वृद्धि से उत्तरदाताओं में कार्य के प्रति निष्ठा भी बनी हुई है।

तालिका संख्या – 03

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

जाति का नाम	संख्या	प्रतिशत
सामान्य जाति	17	28.33
पिछड़ी जाति	11	18.33
अनुसूचित जनजाति	08	13.33
अनुसूचित जाति	24	40.00
योग	60	100.00

तालिका संख्या 03 में जाति के आधार पर उत्तरदाताओं के विवरण को दर्शाया गया है। अधिकांश 40. 00 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के हैं। 28.33 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति के हैं। 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति के हैं जबकि 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। यह क्षेत्र भोटिया जनजाति (मारछा और तोल्छा) का बाहुल्य क्षेत्र है।

तालिका संख्या – 04

स्वयं सहायता समूह बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धी ज्ञानवर्द्धन

ज्ञानवर्द्धन	संख्या	प्रतिशत
हाँ	54	90.00
नहीं	06	10.00
योग	60	100.00

तालिका संख्या 04 से स्पष्ट है कि अधिकांश 90.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं में बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ब्याज दर एवं ऋण सम्बन्धी ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह एक सशक्त माध्यम है। 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ब्याज दर एवं ऋण सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि को नकारा है।

तालिका संख्या – 05

सदस्य बनने के बाद उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन

परिवर्तन के बारे में धारणा	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतः सहमत	27	45.00
सहमत	17	28.33
असहमत	08	13.33
पूर्णतः असहमत	03	05.00
कुछ कह नहीं सकते	05	08.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 05 में उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से अधिकांश 45.00 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः सहमत हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। 28.33 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं। परन्तु 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत हैं। 05.00 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः असहमत हैं और 08.33 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ नहीं कह सकते का अनुभव किया।

तालिका संख्या – 06

सदस्य बनने के बाद उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

परिवर्तन के बारे में धारणा	संख्या	प्रतिशत
सकारात्मक	49	81.66
नकारात्मक	11	18.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 06 में उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है। 81.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार किया है। स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के बाद उत्तरदाता परिवार के आर्थिक कार्यों में कुशलतापूर्वक सहभाग कर रही हैं और जिससे उनका अर्थिक स्तर भी सुदृढ़ हुआ है। वे अब अपनी कार्य कुशलता के कारण पारिवारिक व्यय में प्रत्यक्ष रूप से योगदान भी दे रही हैं। 18.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक बदलाव को नकारा है।

तालिका संख्या – 07

ऋण लेने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं का वितरण

ऋण लेने का उद्देश्य	संख्या	प्रतिशत
शिक्षा	05	08.33
कृषि	13	21.66
उद्यमशीलता कौशल	12	20.00
बीमारी	04	06.66
विवाह	15	25.00
घर की मरम्मत	09	15.00
अन्य	02	03.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 07 में आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ऋण लेने का उद्देश्य विवाह है। 21.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि कार्यों के लिए ऋण लिया है। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उद्यमशीलता कौशल के लिए ऋण लिया है। 15.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घर की मरम्मत के उद्देश्य से ऋण लिया है। 08.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा के लिए ऋण लिया है। 06.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बीमारी की रोकथाम के लिए ऋण लिया है तथा 03.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए लिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस नाते उसकी अनेक आवश्यकतायें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। आंशिक रूप से इन आवश्यकताओं के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन पर ली गई राशि उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में काफी हद तक मददगार होती है।

तालिका संख्या – 08

समूह में शामिल होने से पहले उत्तरदाताओं के बैंक खाते का विवरण

बैंक खाता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	17	28.33
नहीं	43	71.66
योग	60	100.00

तालिका संख्या 08 में अधिकांश 71.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से पहले किसी भी बैंक में खाता नहीं था। जबकि 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का बैंक खाता पहले से ही था। अतः हम कह सकते हैं कि समूह में शामिल होने से पहले उत्तरदाताओं के बैंक खाता नहीं था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है उत्तरदाताओं में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसमें उन्हें सबसे सुरक्षित जगह महाजन या साहूकार की अपेक्षा बैंक में अपनी राशि रखने को महत्वपूर्ण मानते हैं।

तालिका संख्या – 09

ऋण लेने के द्वारा संस्था में उत्तरदाताओं का वितरण

संस्था का नाम	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण बैंक	21	35.00
सहकारी बैंक	11	18.33
नातेदारी	15	25.00
साहूकार	09	15.00
अन्य	04	06.66
योग	60	100.00

तालिका संख्या 09 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है। जबकि 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने सगे सम्बन्धियों अर्थात् नातेदारों से ऋण लिया है। 18.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है। 15.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साहूकार से ऋण लिया है तथा 06.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य से ऋण लिया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जरूरतमन्दों को ऋण देने की प्रवृत्ति जिसमें मनचाहा ब्याज वसूलने की मंशा भी शामिल थी में कमी आई है और स्वयं सहायता समूहों से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

तालिका संख्या – 10

राजनीतिक भागीदारी में उनकी प्रतिक्रिया

वोटिंग के लिए पसन्द	संख्या	प्रतिशत
शिक्षित	23	38.33
उम्मीदवार की साफ छवि	11	18.33
जाति के लिए वोट	16	26.66
लिंग के लिए वोट	06	10.00
अन्य	04	06.66
योग	60	100.00

तालिका संख्या 10 में राजनीतिक भागीदारी में उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्तरदाताओं का वितरण दर्शाया है जिसमें उम्मीदवार के समर्थन में उनकी स्वयं की क्या धारणा है जो उनके समर्थन को सहायक बनाती है। अधिकांश 38.33 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। 26.66 प्रतिशत उत्तरदाता जाति के आधार पर वोट डालते हैं। 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता उम्मीदवार की साफ छवि का समर्थन करते हैं। 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता लिंग के आधार पर वोट डालते हैं। 06.66 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह सदस्य के रूप में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है और वह शिक्षा के प्रति भी जागरूक हुई हैं।

तालिका संख्या – 11

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि

जागरूकता में वृद्धि	संख्या	प्रतिशत
हाँ	51	85.00
नहीं	09	15.00
योग	60	100.00

प्रस्तुत तालिका संख्या 11 से स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं 85.00 प्रतिशत में स्वयं सहायता समूह की बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है जैसे– पोलियो, एच0आई0वी0 एड्स तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि। जबकि 15.00 प्रतिशत उत्तरदाता स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को महत्व नहीं देते हैं।

तालिका संख्या – 12

उत्तम नेतृत्व क्षमता एवं संचार योग्यता का विकास

नेतृत्व क्षमता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	55	91.66
नहीं	05	08.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 12 से ज्ञात होता है कि अधिकांश 91.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं में राजनीतिक सशक्तिकरण के अन्तर्गत समूह में योग्य नेतृत्व क्षमता एवं अभिमत क्षमता को बढ़ावा मिला है, जिससे वे सामुदायिक, ग्रामीण एवं पारिवारिक गतिविधियों में खुलकर प्रतिभाग करती हैं। जबकि 08.33 प्रतिशत उत्तरदाता नेतृत्व क्षमता एवं संचार योग्यता को नहीं मानते हैं। इसके पीछे उनकी रूढ़िवादी विचारधारा का होना है।

तालिका संख्या – 13

निर्णय लेने की क्षमता का विकास

निर्णय लेने की क्षमता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	52	86.66
नहीं	08	13.33
योग	60	100.00

तालिका संख्या 13 से ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा अधिकांश महिलाओं 86.66 प्रतिशत में परिवार एवं समुदाय में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिला है, जिससे उनमें आत्म–निर्भरता

बढ़ी है। 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पित्तृसत्तात्मक समाज होने के कारण आज भी उनके परिवार व उनके किसी भी जगह सहभागिता का पुरूष ही निर्णय करते हैं।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह महिलाओं और आम जनता को सशक्त बनाने के साथ–साथ वर्तमान में स्वयं सहायता समूह ने गरीबी समाप्त करने और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूह में भाग लेकर महिलाएं विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गई हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ–साथ परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। जिससे सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत हुआ है, स्त्रियों में राजनीतिक जागरूकता आयी है। स्त्रियां विनिर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनी हैं जिससे स्त्री अधिकारिता की दिशा में प्रगति हुई है। साथ ही मानव सभ्यता का विकास भी हुआ है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट तकनीक हैं। साथ ही इन समूहों ने जीवन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया है, साथ ही ग्रामीण भारत की सामाजिक–आर्थिक उन्नति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए महिला सदस्यों को संवेदनशील बनाया है और परिवार में निर्णय के स्तर पर को भी मजबूत बनाया है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है क्योंकि वे स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं के बारे में उनके ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाते हैं, साथ ही स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान वित्तीय स्थिरता भी देते हैं। वे आय–उत्पादक गतिविधियों की पेशकश करने में भी अत्यधिक सक्रिय हैं।

संदर्भ सूची

1. रेखा सिंह 'कामकाजी महिलाओं के प्रति पुरूषों के दृष्टिकोण ग्रामीण परिवारों के संदर्भ में' राधा कमल मुकर्जी:चिन्तन परम्परा, वर्ष 17 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर, 2015 ISSN 0974–0074 पृष्ठ संख्या 150।
2. सपना कुमारी 'महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का योगदान' IJAR 2021:7(6):393–396 http://www.allresearchjournal.com
3. Sanjeet Kumar Das 'Expansion of micro-financing through Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojna: Experience in West Bengal,' Economic Affairs, Vol. 55, No. 2, June 2010, pp 180-186.
4. https://unacademy.com women's self-help groups
5. राजेश कुमार 'उत्तराखण्ड राज्य की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत् श्रमिकों की कार्यदशाएं एवं स्वास्थ्य' प्रकाशक: विवेक प्रकाशन ISBN : 978–81–7004–321–8, 2015 पृष्ठ संख्या 417।
6. सुनीता श्रीवास्तव 'ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का माध्यम स्वयं सहायता समूह' JETIR ISSN 2349-5162 volume 7, issue 2 February 2020 pp 16-19 www.jetir.org
7. https://growthcenters.uk.gov.in
8. usrlm.uk.gov.in
9. सुनीता श्रीवास्तव पूर्ववत्

10. कुलदीप यादव व जितेन्द्र प्रसाद, 'महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा वर्ष 17 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर, 2015 ISSN 0974–0074 पृष्ठ संख्या 50–55।
11. राकेश मल्होत्रा, 'विभिन्न योजनाओं में स्वयं सहायता समूह,' एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लि0ए नई दिल्ली–2007, पृष्ठ सं0 04।
12. Suryamurti R. 'Micro Finance and Caste Women Self Help Groups in Kerala: Loan for Members of others,' January-March 2005, 55 Social Action 5, pg 55-71.
13. ए0के0 सिंह एण्ड एस0पी0 पाण्डेय, 'एमपॉवरमेन्ट ऑफ सेड्यूल्ड कास्ट वीमेन थ्रू सेल्फ हेल्फ ग्रुप्स,' सीरियल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ सं0 38–40।
14. Kritika and Pandey 'Role of Self Help Groups (SHGS) in Women Education and Enterprenership Development' International Journal of Home Science Vol-9(3) PP 183-185.

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation